राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित

राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति

1. परिचय

2. भारत में डिज़ाइन किया गया, विश्व के लिए निर्मित

3. डिज़ाइन रूप रेखा

4. डिज़ाइन प्रवर्तन

5. गुणवत्ता डिज़ाइन शिक्षण

   क. नए डिज़ाइन संस्थान स्थापित करना

   ख. वर्तमान डिजाइन संस्थानों और संकाय संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक उन्नयन करना

   ग. राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थानों को भावी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय स्तर दिलाने के लिए कार्यवाही शुरू करना, जिससे वे उपाधियाँ प्रदान कर सकें

   घ. अभियांत्रिकी और वास्तुकला के महाविद्यालयों में डिज़ाइन विभागों को प्रोत्साहित करना

   ङ डिज़ाइन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता का उन्नयन करना

   च. व्यावसायिक संस्थानों और के-12 शिक्षण प्रणाली में डिज़ाइन शिक्षण

6 स्ट्रैटेजिक डिज़ाइन

   क. भारतीय डिज़ाइन चिन्ह

   ख. भारतीय डिज़ाइन फर्मों और विदेशी संस्थाओं के बीच स्ट्रैटेजिक मैत्री विकसित करना

7. डिज़ाइन संवर्धन

   क. कार्यशालायें आयोजित करना

   ख. भारत के परंपरागत ज्ञान को सुरक्षित रखना

   ग. डिज़ाइनरों की अधिकृत (चार्टरित) समिति की स्थापना को सरल बनाना

   घ. बौद्धिक संपदा अधिकार

8. भारतीय डिज़ाइन परिषद

राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति
8 फरवरी 2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित

प्रथम मुद्रण: 2007
द्वितीय मुद्रण: 2011

1 परिचय

अब राष्ट्रीय और उद्योग स्पर्धात्मकता हेतु डिज़ाइन की स्ट्रैटेजिक महत्ता सार्वभौमिक रूप से पहचानी जाती है। मूल्यवर्धन डिज़ाइनों में प्रवर्तनों के माध्यम से निर्माणकारी और सेवा उद्योगों दोनों की स्पर्धात्मकता बढ़ाने में एक केन्द्रीय भूमिका निभा सकता है।

आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक विकास और उत्पादों व सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में डिज़ाइन की बढ़ती हुई महत्ता को अनुभव करते हुए, भारत सरकार ने उद्योग, डिज़ाइनरों व अन्य शेयरधारकों के साथ एक राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति की विस्तृत रूपरेखा विकसित करने के लिए एक परामर्शकारी प्रक्रिया प्रारंभ की थी।

इस विज़न को प्राप्त करने की स्ट्रैटेजी, विभिन्न स्तरों पर डिज़ाइन शिक्षण की गुणवत्ता सुदृढ़ करने लघुस्तरीय और कुटीर उद्योगों तथा शिल्पों द्वारा डिज़ाइनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने, डिज़ाइन व्यवसाय के विकास में उद्योग और डिज़ाइनरों को सक्रिय घनिष्ठ संबंद्धता को सरल बनाने, भारत और विदेशों में भारतीय डिज़ाइन की ब्रॉंडिंग करने तथा स्थापित करने, डिज़ाइन और डिज़ाइन सेवा निर्यातों को समृद्ध करने और एक समर्थ पर्यावरण का सृजन करने पर संकेन्द्रित है, जो मौलिक डिज़ाइनों को मान्यता प्रदान करती है एवं पुरस्कृत करती है।

2

भारत में डिज़ाइन किया गया:
गुणवत्ता के लिए एक कहावत

राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति का विज़न निम्नलिखित परिकल्पना करता है: सृजनात्मक डिज़ाइन विकास हेतु एक मंच की तैयारी अनेक क्षेत्रों, राज्यों एवं प्रदेशों के आर-पार डिज़ाइन संवर्धन एवं साझेदारियाँ, परंपरागत और प्रौद्योगिकीय संसाधनों के साथ डिजाइन का एकीकरण करना।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, स्ट्रैटेजिक एकीकरण एवं सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन संगठनों के माध्यम से भारतीय डिज़ाइनों और प्रवर्तनों की प्रस्तुति।

भारतीय डिज़ाइनों का वैश्विक स्थापन और ब्रॉंडिंग करना और 'भारत में डिज़ाइन किया गया' बनाना, गुणवत्ता हेतु एक कहावत तथा 'भारत में निर्मित' और 'भारत में प्रस्तुत' के संयोजन में उपयोगिता।

'भारत में डिज़ाइन किया गया, विश्व के लिए निर्मित' आधुनिक प्रवर्तनकारी प्रक्रियाओं के साथ भारत की समृद्ध परंपरा को जोड़ता है।

3 डिजाइन रूपरेखा

भारत की औद्योगिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है - भारतीय उद्योग की स्पर्धात्मकता को बढ़ाना। स्पष्ट रूप से भूमिका की पहचान करने की दृष्टि से जो इस प्रक्रिया में डिज़ाइनें अदा करती हैं, राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति निम्नलिखित बहुशाखदार रूपरेखा से निर्देशित है :

- एक श्रेष्ठ - परिभाषित एवं व्यवस्थित विनियमन विषयक, संवर्धनात्मक और संस्थागत रूपरेखा के माध्यम से भारतीय डिज़ाइन का उत्कर्ष
- उत्कृष्टता के वैश्विक मानकों तक भारतीय डिज़ाइन शिक्षा का उत्थापन
- भारत की समृद्ध शिल्प परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से निरेखन करते हुए उत्पादों और सेवाओं में मौलिक भारतीय डिज़ाइनों का सृजन
- भारत को निर्यातों तथा डिज़ाइनों के आउटसोर्सिंग का एक बड़ा केन्द्र बनाना और एक डिज़ाइन समर्थ प्रवर्तनकारी अर्थ-व्यवस्था प्राप्त करने के लिए सृजनात्मक प्रक्रिया करना
- डिज़ाइन के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के समग्र मूर्त एवं अमूर्त गुणवत्ता मापदंडों का संवर्धन
- मौलिक डिज़ाइनों के स्पर्धात्मक लाभ के बारे में निर्माताओं और सेवा उपलब्ध कराने वालों में विशेषकर एसएमईज और कुटीर उद्योगों में जागरूकता का सृजन
- डिज़ाइन सेवाओं और डिज़ाइन से संबंधित शोध एवं विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों सहित निवेशों को आकृष्ट करना और
- डिज़ाइन व्यवसाय के सहभागी विकास में उद्योग तथा व्यावसायिक डिज़ाइनरों को सम्मिलित करना

4 डिज़ाइन प्रवर्तन

भारत की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य है - औद्योगिक एवं निर्यात-स्पर्धात्मकता प्राप्त करना। एक वैश्वीकरण अर्थ में, डिज़ाइन को आर्थिक एवं औद्योगिक संवृद्धि के एक नए यंत्र (इंजन) के रूप में महसूस किया जा रहा है।

डिज़ाइन, प्रवर्तन का एक चालक है और उत्पादों तथा सेवाओं को एक स्पर्धात्मक-धार (कगार) उपलब्ध कराने हेतु एक मुख्य विभेदक के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

परिणामस्वरूप, प्रवर्तन, निर्माणकारी प्रक्रियाओं और उद्यमिता कार्यप्रणाली में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण रणनीति (स्ट्रैटेजी) है।

डिज़ाइन और ब्रॉंड प्रेरित मूल्य श्रृँखला और डिज़ाइन पंजीकरणों सहित बौद्धिक संपदा विकास को भारतीय निर्माणकारी एवं सेवा उद्योगों की मुख्य शक्तियों के रूप में विकसित किए जाने की जरूरत है।

भारत को वैश्विक डिजाइन, विशेष रूप से एशियन डिज़ाइन को एक अग्रणी प्रभावकारी बनाने के लक्ष्य की जरूरत भी है।

राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति यह अपेक्षा करती है कि भारत को निर्यातों तथा डिज़ाइनों के आउटसोर्सिंग का एक बड़ा केन्द्र बनाया जाए और एक ''डिज़ाइन-समर्थ प्रवर्तनकारी अर्थ-व्यवस्था'' प्राप्त करने हेतु सृजनात्मक प्रक्रिया की जाए।

नीति का विज़न निम्नलिखित परिकल्पना करता है:

क्षेत्रों जैसे कि ऑटोमोबाइल एवं ट्रॉंस्पोर्टेशन, ज्वैलरी, लेदर, सॉफ्टगुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स / आइ टी हार्डवेयर उत्पाद, खिलौने और खेल, आदि के लिए विशिष्टीकृत डिज़ाइन केन्द्र अथवा 'प्रवर्तन केन्द्र' स्थापित करना जो सामान्य सुविधायें उपलब्ध करायेंगे और उपकरणों से समर्थ बनायेंगे जैसे द्रुत उत्पाद विकास, उच्च कार्य निष्पादन कल्पना इत्यादि, साथ में उद्यम ऊष्मायन एवं जोखिम (साहसिक-कार्य) निधि-व्यवस्था, शुरूआत करने हेतु डिज़ाइन-प्रेरित वेंचरों, और युवा डिज़ाइनरों की डिज़ाइन फर्मों/गृहों के लिए ऋणों और बाजार विकास सहायता जैसी क्रियाविधियों के माध्यम से वित्तीय सहायता।

चुने हुए स्थानों / औद्योगिक क्षेत्रों / पिछड़े राज्यों विशेषकर उत्तर-पूर्व में डिज़ाइन केन्द्रों / प्रवर्तन केन्द्रों की स्थापना करने हेतु एक योजना का निर्माण करना।

डिज़ाइन केन्द्रों / प्रवर्तन केन्द्रों के अभ्यास कर्ता डिज़ाइनरों हेतु विशिष्ट प्रक्रियाओं / डिज़ाइन क्षेत्रों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक योजना तैयार करना और शिक्षण कार्यक्रमों को जारी रखना।

भारत को निर्यातों तथा डिज़ाइनों के आउटसोर्सिंग का एक बड़ा केन्द्र बनाना और एक डिज़ाइन-समर्थ प्रवर्तनकारी अर्थ-व्यवस्था प्राप्त करने के लिए सृजनात्मक प्रक्रिया करना।

5 गुणवत्ता डिज़ाइन शिक्षण

स्थायी वृत्ति से प्रबंधित चूँकि भारत सृजनात्मक तकनीकी और उद्यमिता मानव संसाधनों के अपने समृद्ध प्रतिभा निकाय और प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं के एक विस्तृत नेटवर्क के साथ है, अतः भारत सरकार का यह प्रयास है कि ऐसे डिज़ाइनरों को पैदा करने के लिए गुणवत्ता डिज़ाइन शिक्षण का संवर्धन किया जाए जो निम्नलिखित अवसरों के माध्यम से गहन रूप से स्पर्धात्मक ज्ञान अर्थ-व्यवस्था में प्रतियोगिता कर सके :

- **नए डिज़ाइन संस्थानों की स्थापना करना**

  भारत के सभी क्षेत्रों में डिज़ाइन-शिक्षण की गुणवत्ता का प्रसार करने की दृष्टि से, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान के नमूने पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में, चार और राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान स्थापित किए जायेंगे। वर्तमान आर्थिक एवं शैक्षणिक निदर्शनों को ध्यान में रखते हुए ऐसे संस्थानों की स्थापना हेतु नए मॉडलों की संभावना खोज की जायेगी। इस संदर्भ में सरकारी-निजी साझेदारी पद्धति भी एक विकल्प हो सकती है।

- **वर्तमान डिज़ाइन संस्थानों और संकाय संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक उन्नयन करना**

  वर्तमान डिज़ाइन संस्थानों और संकाय संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक, विशेषकर राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (एनआइडी) के (वर्तमान कैम्पसों) एवं केन्द्रों के उन्नयन पर विशेष संकेन्द्रण करना।

- **राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान के लिए 'भावी विश्वविद्यालय' का स्तर तलाशने के लिए कार्यवाही की पहल करना**

  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3(एफ) के अधीन भावी विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करना जिससे वे वर्तमान में डिप्लोमाओं की बजाय डिज़ाइन स्नातक और डिज़ाइन अनुस्नातक की उपाधि प्रदान कर सकें।

- ### इंजिनियरिंग एवं वास्तुशिल्प महाविद्यालयों में डिज़ाइन विभागों की स्थापना को प्रोत्साहित करना

  सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआइटी) और इंजीनियरिंग एवं वास्तुशिल्प के सम्मानित / प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में डिज़ाइन विभागों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

- ### इंजीनियरिंग डिज़ाइन मशीनरी डिज़ाइन, प्रक्रिया डिज़ाइन, डिज़ाइन सामग्री, पर्यावर्णीय दृष्टि से ठोस एवं सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रासंगिक डिज़ाइन की गुणवत्ता का उन्नयन

  प्रभावकारी उपकरणों तथा प्रक्रियाओं का उत्पादन करने के लिए शोध एवं विकास रणनीति (स्ट्रैटेजी) ग्रहण करना जिसका स्ट्रैटेजिक और कुशल उत्पादन प्रक्रियाओं में परिणाम निकलेगा।

- ### व्यावसायिक संस्थानों और के-12 शिक्षण में डिज़ाइन प्रशिक्षण

  भारतीय उद्योग, विशेषकर प्राइमरी एवं सेकंडरी स्कूलों में लघु स्तरीय तथा कुटीर उद्योगों की जरूरतों की ओर उन्मुख व्यावसायिक संस्थानों में डिज़ाइन शिक्षण को प्रोत्साहित करना।

6 स्ट्रैटेजिक डिज़ाइन

वर्धमान रूप से एक स्पर्धात्मक वैश्विक अर्थव्यवस्था में, डिज़ाइन अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थल में उत्पादों और सेवाओं के मध्य एक मुख्य विभेदक बनती है। एक व्यापार स्ट्रैटेजी के रूप में डिज़ाइन के महत्त्व को मान्यता प्रदान करते हुए राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति स्ट्रैटेजिक डिज़ाइन को प्रोत्साहित करती है। दो बड़ी पहलों में सम्मिलित हैं - गुणवत्ता की एक मुहर के रूप में एक भारत डिज़ाइन चिन्ह की पुनर्स्थापना और विदेशी व्यापारों के साथ स्ट्रैटेजिक मैत्रियों का विकास।

> भारत डिज़ाइन चिन्ह : भारत की नई डिज़ाइन गुणवत्ता मुहर

भारत डिज़ाइन परिषद, एक नवीन/नई श्रेष्ठ डिज़ाइन चयन प्रणाली जिसे आइ चिन्ह (मार्क) कहा जाता है, की शुरूआत करने वाली है। आई चिन्ह (मार्क) गुणवत्ता आश्वासन की एक मुहर होने वाला है जो मापदंड़ों को शामिल कर लेता है जैसे कि मौलिकता, प्रवर्तन, सौंदर्यात्मक, अपील, उपभोक्ता-केन्द्रित, अर्गोनॉमिक विशेषताएँ, सुरक्षा एवं पारिस्थितिक अनुकूलता।

आई-मार्क से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल अंतिम उत्पाद-डिज़ाइन गुणवत्ता का बल्कि उत्पादन-प्रक्रिया की डिज़ाइन संवेदनशीलता का भी बेंचमार्क करे।

गुणवत्ता आश्वासन का एक संकेतक होने के अतिरिक्त, आइ-मार्क, उत्पाद की समाजिक प्रासंगिकता के महत्त्व को भी प्रकट करता है जहाँ पर प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन के स्तरों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

आई-मार्क बैंचमार्किंग पहल से यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह भारतीय डिज़ाइनों की विदेशों में एक ब्रॉंड (इमेज) सृजन करने में उद्योग प्राप्त कर्ताओं को मान्यता प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक क्रियाविधि तैयार करे।

निर्यात गुणवत्ता के संदर्भ में, आई मार्क प्रमाणन वैश्विक बाजारों में एक उत्पाद अथवा उसकी आर्थिक व्यवहार्यता की सौंदर्यात्मक अपील का ठीक-ठीक एक वैधीकरण नहीं हैं। अपेक्षाकृत, यह उत्पाद की संदर्भात्मक एक समग्र पटुता है, जिसमें समाज के लिए जीवन की गुणवत्ता सुधारने हेतु नीतिशास्त्र, परिस्थिति-विज्ञान वहनीयता, सार्वभौमिक पहुँच एवं समानता के मुद्दे शामिल होते हैं।

इस प्रकार, आई-मार्क जिम्मेदार, मूल्य-केन्द्रित-डिज़ाइन की एक मुहर है।

> स्ट्रैटेजिक मैत्रियों का विकास करना

भारत की राष्ट्रीय डिजाइन नीति की एक मुख्य स्ट्रैटेजी है - डिज़ाइन फर्मों, संस्थाओं, संघों और विदेशी-सरकारों के साथ स्ट्रैटेजिक मैत्रियाँ विकसित करना। स्ट्रैटेजिक मैत्रियाँ विकसित करने से महत्त्वपूर्ण कार्यक्षमताओं के उत्तोलन, प्रवर्तन बढ़ाने, प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने और बाजार तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के जवाब में लचीलापन बढ़ाने में कंपनियों की मदद करके एक फर्म के दीर्घावधि स्पर्धात्मक लाभ में संवृद्धि होती है।

स्ट्रैटेजिक मैत्रियों का लक्ष्य है - विश्व भर में सहयोग की दृष्टि से, कार्य करके नई सहक्रियाओं को उत्पन्न करना और विश्व के आर-पार सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का उत्तोलन करना तथा प्रवर्तन डिज़ाइन हेतु नए व्यापार मॉडल्स विकसित करना।

7 डिज़ाइन संवर्धन

क कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ आयोजित करना

विशेषकर डिज़ाइन प्रक्रियाओं के अमूर्त पहलुओं पर जागरूकता उत्पन्न करने एवं विशेषरूप से लघुस्तरीय एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में जानकारी प्रसारित करने के लिए कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ आयोजित करना।

ख शिल्पकारों एवं दस्तकारों के लिए प्रशिक्षण

भारत के परम्परागत शिल्प हमारे दोनों आर्थिक भूदृश्य में और हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ स्थापित करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिससे हमारे शॉप फ्लोर कामगारों, शिल्पकारों और दस्तकारों को परम्परागत ज्ञान दक्षताएँ एवं कार्य क्षमताएँ समृद्ध करने के लिए सुसज्जित किया जाता है जबकि वे वैश्विक विरासत के लिए संवेदनशील हो रहे हैं। उपयुक्त बाजारों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम में, वाणिज्यीकरण हेतु परंपरागत शिल्प उत्पादों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिल्पकारों और दस्तकारों को लगाये जाने का विचार है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहभागियों को नई उद्यमीय दक्षतायें प्रदान करने और नए नेटवर्कों तथा संपर्कों का निर्माण करने दोनों को पूरा करेगा जिससे सहभागी अपने ज्ञान तथा विचारों का आदान-प्रदान कर सकेंगे।

ग डिज़ाइनरों के लिए एक चार्टरित समिति की स्थापना को सरल बनाना

डिज़ाइन व्यवसायों के पंजीकरण और व्यवसाय में मानक व्यवस्थाओं से संबंधित विविध मामलों को शासित करने के लिए डिज़ाइनरों की एक चार्टरित समिति (सीएसडी) की स्थापना को सहज बनाना।

डिज़ाइनरों की चार्टरित समिति (सीएसडी) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह डिज़ाइन के सभी क्षेत्रों में, डिज़ाइनरों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बहु-विषयक संगठन बने। सीएसडी में प्रवेश का संकेत होगा व्यावसायिक उत्कृष्ट ता और उच्चतम व्यावसायिक मानकों के प्रति निष्ठा। यह संचलन (मूव) वैश्विक बाजारों में गुणवत्ता आश्वासन हेतु एक क्रियाविधि उपलब्ध करायेगा और भारतीय डिज़ाइनरों को उनकी व्यावसायिक कार्य-क्षमताओं के एक आश्वासन सहित वैश्विक फर्मों को किराये पर लेने की अनुमति प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त, सीएसडी भारतीय डिज़ाइनरों को एकत्र करने का एक मंच भी प्रदान करेगा और वैश्विक समुदाय को भारतीय डिज़ाइन का एक संसक्तिशील चेहरा उपलब्ध करायेगा और भारतीय डिज़ाइन ब्राण्ड की सेवा करेगा।

घ बौद्धिक संपदा अधिकार

डिज़ाइन के व्यापक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्रों में, देश के लिए पेटेंट और आय-सृजन, डिज़ाइन संवर्धन गतिविधि एक सुव्यवस्थित रूपरेखा पर भी संकेन्द्रण करेगी जो कॉपीराइट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पद्धतियों के बौद्धिकरण को हिसाब में लेती है।

वैश्विक रूप से यह प्रत्यक्ष हो गया है कि किसी भी उद्यम की स्पर्धात्मकता उसकी उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों के संबंध में, प्रवर्तन करने की उसकी योग्यता तथा बाजार में उसके प्रतिस्पर्धियों के संदर्भ में, स्वयं पहचान करने पर निर्भर करती है। डिज़ाइन बाजार स्थल में एक महत्त्वपूर्ण विभेदक एवं मूल्यवर्धन का एक स्रोत बन गई है। डिज़ाइन के माध्यम से प्रवर्तन में, शोध एवं विकास (आर ऐंड डी) में समय और धन के भारी निवेश शामिल होते हैं।

इसके अतिरिक्त, हमेशा घटाव वाले उत्पाद जीवन-चक्रों के संदर्भ में और सनकों द्वारा प्रेरित एक बाजार के साथ उत्पाद विभेदक जुड़ा हुआ हो, तो यह अधिकाधिक आवश्यक हो रहा है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रभावशाली ढंग से प्रबंध किया जाए। बौद्धिक संपदा की अमूर्त प्रकृति तथा मानक पद्धतियों की विश्व-व्यापी संगति, व्यापारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण पर्यावरण सृजित करती है जो उनके प्रवर्तनों, ब्राँडों और डिज़ाइनों को सुरक्षित करना चाहती है।

डिज़ाइनों की सुरक्षा यह सुनिश्चित करके अर्थ-व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है कि अन्य प्रतिस्पर्धियों की कंपनी के प्रवर्तनों तक पहुँच नहीं होती हैं जो उसने नए एवं वैकल्पिक डिज़ाइनों का सृजन करने में, मजबूत बौद्धिक प्रयास निवेश करके विकसित किया है।

8

भारतीय डिज़ाइन परिषद

परिचय

भारतीय डिज़ाइन परिषद सरकार द्वारा नियुक्त एक निकाय है। यह औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) के संरक्षण में आती है और यह 8 फरवरी 2007 को भारत सरकार द्वारा उद्घोषित राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति के अनुसरण में गठित की गई है। दिनांक 2 मार्च 2009 की केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना यह निर्धारित करती है कि भारतीय डिज़ाइन परिषद की प्रारंभिक अवधि तीन वर्षों की होगी।

इसका मिशन है - भारत के अंदर और विदेशों दोनों में भारतीय डिज़ाइन की डिज़ाइन जागरूकता और प्रभावकारिता का संवर्धन करना। जबकि भारतीय डिज़ाइन परिषद का केन्द्रीय उद्देश्य है - वैश्विक स्तर पर भारतीय डिज़ाइन को अपनी स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना, द्वितीय उद्देश्यों में सम्मिलित है - उद्योग और शैक्षणिक क्षेत्र, के मध्य निकटतर संबंधों को प्रोत्साहित करने और भारत की डिज़ाइन कार्यक्षमताओं को शोकेस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।

बड़ी अभिप्रेत (अभीष्ट) गतिविधियाँ

- भारतीय डिज़ाइन परिषद के बड़े-बड़े कार्य निम्नलिखित हैं -
- भारत के भीतर और विदेशों-दोनों में डिज़ाइन जागरूकता एवं प्रभावकारिता कार्यक्रमों को ग्रहण करना
- सभी शेयरधारकों के साथ परिचर्चा हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना
- शोध एवं विकास तथा स्ट्रैटेजी व स्थायी अध्ययनों को ग्रहण करना
- डिज़ाइन संस्थाओं को बैंचमार्क करना
- भारत में डिज़ाइन शिक्षा प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं के लिए मानकीकृत डिज़ाइन पाठ्यक्रम विकसित करना एवं डिज़ाइन करना
- डिज़ाइन स्ट्रैटेजियों के सतत मूल्यांकन एवं विकास हेतु कार्यक्रम आयोजित करना।
- देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धात्मकता की वृद्धि हेतु डिज़ाइनों के माध्यम से गुणवत्ता प्रणालियों का विकास करना एवं कार्यान्वयन करना।
- नई डिज़ाइनों के पंजीकरण हेतु प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के सरलीकरण को सहज बनाने के लिए सरकार के साथ समन्वय करना।
- वर्तमान एवं नए उत्पादों के लिए डिज़ाइनरों की सेवाओं को कार्य में लगाने हेतु - उद्योगों की सहायता करना।
- भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की डिज़ाइनों तथा डिज़ाइन प्रेरित निर्यातों को प्रोत्साहित करना, जिनमें अन्य देशों द्वारा उनकी डिज़ाइन क्षमताओं की आउट सोर्सिंग भी सम्मिलित हैं।
- उत्पाद विकास एवं प्रवर्तनों के लिए वैश्विक प्रवृत्तियों व बाजार बौद्धिकता एवं प्रौद्योगिकी तक पहुँच पाने के लिए भारत में डिज़ाइनरों को योग्य बनाना।
- धन-सृजन हेतु नए डिज़ाइन-प्रेरित उद्यमों के निर्माण को प्रोत्साहित करते समय मालिकाना डिज़ाइन तकनीकी जानकारी के सर्जन के लिए शैक्षणिक क्षेत्र एवं उद्योग के मध्य निकटतर सहयोग को प्रोत्साहित करना और डिज़ाइनों के क्षेत्रों में, बौद्धिक सम्पदा के सर्जन एवं सुरक्षित करने हेतु एक संस्कृति को प्रोत्साहित करना एवं सुविधा प्रदान करना

कार्यवाहक/कार्यकारी समितियाँ :

भारतीय डिज़ाइन परिषद ने तीन क्षेत्रों जिन्हें वह महत्त्वपूर्ण समझता है, लिए विश्लेषण करने एवं सिफारिशें उपलब्ध कराने हेतु तीन बड़े कार्यदल गठित किए हैं

प्रथम कार्यदल, डिज़ाइन को विभिन्न कार्य-क्षेत्रों और क्षेत्रों में ले जाने के सम्भावित तरीकों का परीक्षण करता है एवं अन्वेषण करता है। इसकी गतिविधियाँ एक श्रेष्ठ डिज़ाइन चयन प्रणाली ('आई-मार्क') के कार्यान्वयन, डिज़ाइन प्रदर्शनियों, डिज़ाइन संवेदीकरण कार्यक्रम और डिज़ाइन संग्रहालयों की स्थापना करने तक फैली हुई हैं।

द्वितीय कार्यदल, डिज़ाइन शैक्षणिक संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा मॉडल पाठ्यक्रम विकसित करने की बैंचमार्किंग हेतु मापदंडों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

तृतीय कार्यदल डिज़ाइन संवर्धन हेतु नीति-क्रियाविधियों और प्रोत्साहनों के प्रावधान पर संकेन्द्रण करता है। जिन प्रस्तावों का यह परीक्षण एवं परिचर्चा/ विचार-विमर्श करता है, उनमें शामिल हैं - डिज़ाइन में शोध एवं विकास गतिविधियाँ ग्रहण करने हेतु उद्योगों को कर-प्रोत्साहन, डिज़ाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए उद्योगों को कर (टैक्स) प्रोत्साहन और डिज़ाइन-सेवाएँ उपलब्ध करानेवालों को कर (टैक्स) प्रोत्साहन

डिज़ाइन एवं लेआउट :
रूपेश व्यास | पायल वत्स | महेन्द्र पटेल

हिन्दी रूपांतरण एवं संपादन :
डा. उत्तमसिंह | हिना कंसारा